रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 331] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 1996/आश्विन 18, 1918
No. 331] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 1996/ASVINA 18, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1996

सा. का. नि. 467 (अ).—महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियमावली, 1981 का और संशोधन के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का प्रस्ताव करती है, उसे उस धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एतदद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. उक्त प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आदेशों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इस नियमों का नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियमावली 1996 है।
2. महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियमावली, 1981 के नियम 3 के —
   (क) खंड (i) में "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
   (ख) खंड (ii) में "साठ रुपये" शब्दों के स्थान पर "सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ,
   (ग) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
   "परन्तु किसी कलैण्डर मास के दौरान आयोजित बोर्ड/और/या समिति की बैठकों के संबंध में किसी न्यासी को देय फीस की कुल रकम एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी"।

[फा. सं. पी. आर-11019/3/95-पी. जी.]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 28 जनवरी, 1982 के सा. का. नि. 134 (अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 18-7-1988 के सा. का. नि. 797 (अ) तथा दिनांक 15-10-1991 के सा.का. नि. 635 (अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1996

G.S.R. 467(E).—The following draft of certain rules further to amend the Major Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) is hereby published as required by sub-section (2) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing such draft are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Major Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) (Amendment) Rules, 1996.

2. In the Major Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981, in rule 3, —

(a) in clause (i), for the word "rupees hundred", the words "rupees two hundred and fifty" shall be substituted;

(b) in clause (ii) for the words "rupees sixty" the words "rupees hundred" shall be substituted;

(c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of meetings of the Board and/ or the Committee held during any Calendar month shall not exceed rupees one thousand".

[F. No. PR-11019/3/95-PG]
K. V. RAO, Jt. Secy.

Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India as G.S.R. 134(E) dated 28th January, 1982 and amended vide GSR 797(E), dated 18-7-1988 and GSR 635(E) dated 15-10-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996